न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र०न० — 39 / 2025
नवान : —

1. विनोद कुमार पुत्र लीलूराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
2. केलादेवी पत्नी लीलूराम जाति जाट साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।

:—प्रार्थीगण

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :—श्री संदीप गोदारा प्रार्थीगण
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 25·08·2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम चक 5 एम.आर.एन. के खाता संख्या 191/22 के मु० नं० 83, मु० नं० 86 कुल क्षेत्रफल 1.3410 है० बारानी तथा रोही मौजा चक 7 ए.एम.एस. के खाता संख्या 117/96 के मु० नं0 25, मु० नं0 26 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 व चक 3 जे.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 120/117 के मु० नं0 .34 कुल किता 6 की 1.2900 है० नहरी कृषि भूमि मे प्रार्थीया संख्या 2 केलादेवी पत्नी रामस्वरूप व केलादेवी पत्नी लीलूराम उर्फ रामस्वरूप व प्रार्थी संख्या 1 विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप व विनोद कुमार पुत्र लीलूराम उर्फ रामस्वरूप दर्ज है जो कि अशुद्ध है जबकि प्रार्थीगण के सही नाम केलादेवी पत्नी लीलूराम व विनोद कुमार पुत्र लीलूराम है।

प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, पनकार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र एंव अन्य दस्तावेजों में केलादेवी पत्नी लीलूराम व विनोद कुमार पुत्र लीलूराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैरोकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:58:52 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा ग्राम 5 एम.आर.एन. के खाता संख्या 191/22 के मु० नं० 83, मु० नं० 86 कुल क्षेत्रफल 1.3410 है० बारानी तथा रोही मौजा चक 7 ए.एम.एस. के खाता संख्या 117/96 के मु० नं0 25, मु० नं0 26 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 व चक 3 जे.जी. डब्ल्यू. के खाता संख्या 120/117 के मु० नं0 34 कुल किता 6 की 1.2900 है० नहरी प्रार्थीया संख्या 2 केलादेवी पत्नी रामस्वरूप व केलादेवी पत्नी लीलूराम उर्फ रामस्वरूप व

र्थी संख्या 1 विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप व विनोद कुमार पुत्र लीलूराम उर्फ मस्वरूप के नाम संयुक्त काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें र्थीगण का अशुद्ध नाम जबकि प्रार्थीगण का सही नाम केलादेवी पत्नी लीलूराम व नोद कुमार पुत्र लीलूराम है, अतः प्रार्थीगण के नाम केलादेवी पत्नी रामस्वरूप व लादेवी पत्नी लीलूराम उर्फ रामस्वरूप के स्थान पर केलादेवी पत्नी लीलूराम व विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप व विनोद कुमार पुत्र लीलूराम उर्फ रामस्वरूप के स्थान पर विनोद कुमार पुत्र लीलूराम दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थी अपनी वादभूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा ग्राम 5 एम.आर.एन. के खाता संख्या 191/22 के मु० नं० 83, मु० नं० 86 कुल क्षेत्रफल 1.3410 है० बारानी तथा रोही मौजा चक 7 ए.एम.एस. के खाता संख्या 117/96 के मु० नं0 25, मु० नं0 26 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 व चक 3 जे.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 120/117 के मु० नं0 34 कुल किता 6 की 1.2900 है० नहरी प्रार्थीया संख्या 2 केलादेवी पत्नी रामस्वरूप व केलादेवी पत्नी लीलूराम उर्फ रामस्वरूप व प्रार्थी संख्या 1 विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप व विनोद कुमार पुत्र लीलूराम उर्फ रामस्वरूप के नाम संयुक्त काश्त के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें केलादेवी पत्नी रामस्वरूप व केलादेवी पत्नी लीलूराम उर्फ रामस्वरूप के स्थान पर केलादेवी पत्नी लीलूराम व विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप व विनोद कुमार पुत्र लीलूराम उर्फ रामस्वरूप के स्थान पर विनोद कुमार पुत्र लीलूराम दर्ज दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि केलादेवी पत्नी रामस्वरूप व केलादेवी पत्नी लीलूराम उर्फ रामस्वरूप व विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप व विनोद कुमार पुत्र लीलूराम उर्फ रामस्वरूप के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम केलादेवी पत्नी रामस्वरूप व केलादेवी पत्नी लीलूराम उर्फ रामस्वरूप व विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप व विनोद कुमार पुत्र लीलूराम उर्फ रामस्वरूप ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:58:52 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़